

**TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT:DELHI)
5, SHAM NATH MARG, DELHI**

F No. 7(15)GA/Estt./DC/Rev.P./2012/2485


Dated: 22/11/12

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 475 dated 03.09.2012, **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)** has joined as **Deputy Commissioner(Central), District Central** on 05.09.2012(F.N.), Now, therefore,

- (i) In exercise of powers conferred by section 5 of the Delhi Land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner** as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates the powers of Collector under section 6 read with Section 76 of the said Act to her w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- (ii) In Exercise of powers conferred by section 3(6) of the Delhi Land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empowers **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner** to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- (iii) In exercise of powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confers upon **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner**, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- (iv) In exercise of powers conferred by section 27(1) (a) of the Punjab Land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confers upon **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner**, all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- (v) In exercise of powers conferred by section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confers upon **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner** all powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
- (vi) In exercise of powers conferred by section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi hereby appoints **Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner** and delegates the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation)passed under section 21(3) of the said Act to her w.e.f. the date of assumption of charge and so long as she holds the post of Deputy Commissioner in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

**BY ORDER AND IN THE NAME OF THE LT. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**




(Kuldeep Singh Gangar)
**Spl. Secretary (Revenue)
Dy. Commissioner(HQ)**

Dated: 22/11/12

F No. 7(15)GA/Estt./DC/Rev.P./2012/2485

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. The Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. Officer concerned (**Dr. (Ms.) Ashima Jain, IAS(AGMU:2008)/Deputy Commissioner (Central)**).
- ✓ 3. The System Analyst with the request to upload the notification on the website of this department.
4. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
5. Guard file.



(Ashok Kumar Sharma)
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-IV (HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली.

संख्या एफ.7(15)/रा./स्थ./उपा./रा. श./ 2012/2485


दिनांक: 22/11/12

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 475 दिनांक 03.09.2012 के सन्दर्भ में डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0 (ए0जी0एम0यू0-2008) ने दिनांक 05.09.2012(पूर्वाह्न) को उपायुक्त मध्य, जिला मध्य का कार्यभार संभाल लिया है। अतः

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त, को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त किया जाता है तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त, को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेसी अधिनियम 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त, को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त, को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त, को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान की जाती हैं।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त, को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर कार्यरत हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4)के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अधोरिटी नियुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर



(कुलदीप सिंह गंगर)

विशेष सचिव (राजस्व/
उपायुक्त (मुख्यालय)

संख्या एफ.7(15)/रा./स्थ./उपा./रा. श./ 2012/2485

दिनांक: 22/11/12

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव सा. प्रा. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी अनुवाद सहित।
2. संबंधित अधिकारी, डा0 (कु0) आशिमा जैन, आई0ए0एस0(ए0जी0एम0यू0-2008) / उपायुक्त (मध्य)।
3. प्रणाली विश्लेशक (उपायुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)।
4. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/ मण्डलायुक्त, दिल्ली, के निजी सचिव।
5. गार्ड फाइल।



(अशोक कुमार शर्मा)
उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-IV)